कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल
दूरभाष न0 05942–235572 फैक्स न0 05942–233549 ई–मेल–**eepdpwdntl@gmail.com**

पत्रांक :– 3507/29 म0जी0 दिनॉक :–5 / 11/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी ।

विषय :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देबलामल्ला) से किमी0 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 53 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **Online Proposal No. (FP/UK/ROAD/20099/2016)** के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 909/12–। हल्द्वानी दिनांक 20.10.2020 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराया जाना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 570/29एम0जी0 दिनांक 06.03.2020 आख्या मय संलग्नक हार्डप्रतियों सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी , वन संरक्षक इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को सीधे प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों की छाया प्रति आपको प्रेषित की जा रही है। तथा बिन्दु संख्या–6 के कम पार्ट–I, II, III, IV के प्रपत्रों हार्ड प्रतियों तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की KML Fill Form A, Part-1 के पैरा L(iv) (C) में ऑन लाईन अपलोड करते हुए आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर उच्चाधिकारियों को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करे। ताकि इस मार्ग की वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

5/11/20

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
नैनीताल

पत्रांक :– / दिनॉक :– / 11/2020

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता द्वितीय, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी, वन प्रभाग हल्द्वानी में व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर प्रस्ताव में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करे, ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त की जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
नैनीताल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

दूरभाष न0 05942- 235572 फैक्स न0 05942-233549 ई-मेल-eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :- 570 / 29mg दिनॉक :- 6 / 03 / 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षक, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषयः- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर-पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवलामल्ला) से किमी0 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक संख्या 839 / 29एम0जी0 दिनांक 03.06.2019 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देहरादून द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर पुनः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नवत है :-

क0 सं0	भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति	प्राप्त आपत्ति निराकरण के जॉच के पश्चात लगायी गयी कमियां	कमियों का निराकरण
1	The digital map of area proposed for CA is provided in Google map which does not serve the purpose the state Govt. may provide/upload GIS software generated revised map showing geo coordinates for all corner points in polygon (shp) closed file.	Digital map of area proposed for CA की सूचना बताई गई सूचना में अपलोड नही है। कृपया सही सूचना भर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	Digital map में proposed CA की area को प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या (36 D, 36E) में अपलोड कर दी गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः आनलाइन अपलोड की जा रही है। (संलग्न प्रपत्र)
2 .	The date of FRA certificate in not properly uploaded along with all annexure viz district level committee sub Divisional level committee proceeding alignment for all villages through which the proposed alignment is passing in oneline part I the state Govt. May upload the complete FRA certificate along with all annexure in correct order of date in column K of Part I.	FRA certificate की सूचना बताई गई सूचना में अपलोड नही है। कृपया सही सूचना भर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	FRA की सूचना प्रस्ताव के प्रपत्र में 23, 23.1, 23.2, 23. 3, 30, 301 में अपलोड कर दी गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः आनलाइन अपलोड की जा रही है। (संलग्न प्रपत्र)
3	The non encumberance certificate regarding the area proposed for CA is not correctely uploaded in online part I column L (iv) (h) as the name if the area proposed for CA is not shown in the certificate.	The non encumberance certificate की सूचना बताई गई सूचना में अपलोड नही है। कृपया सही सूचना भर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	CA हेतु बतायी गयी भूमि वन क्षेत्र भटियानी के अन्तर्गत पटवारी क्षेत्र सीला-4 के ग्राम जुया में प्रस्तावित की गयी है। जो पूर्व में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 35 में अपलोड की गयी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः प्रेषित है। (संलग्न प्रपत्र)
4	In the suitability certificate uploaded in online part II the name of the area marked for CA is not mentioned in the certificate.	Suitability certicate की सूचना बताई गई सूचना में अपलोड नही है। कृपया सही सूचना भर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 36 में अपलोड किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः प्रेषित है। (संलग्न प्रपत्र)

5	In the District profile the CA stipulation against total land diverted in the district in not commensurate with each other in general the area of CA is twice in extent of the area diverted the necessary correction/clarification is required in this regard form the state Govt.	District profile की सूचना बताई गई सूचना में अपलोड नहीं है। कृपया सही सूचना भर ऑनलाईन अपलोड करना सुनिश्चित करें।	District profile में बताई गयी सूचना को पुनः अपलोड किया जा रहा है। (संलग्न प्रपत्र)
6	The hard copy of part I,II, III, IV and V dully signed/authenticated by the comptent authority may be furnished to this office same as on online web portal.	part I,II, III authebticated original hard copy तीन मूल प्रतियों के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार भेजा जा सके।	प्रस्ताव के part I,II, III की हार्ड प्रति प्रस्ताव के प्रपत्र सं0 2 के भाग I,II, III में अपलोड किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः प्रेषित है (संलग्न प्रपत्र)

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(ई0 दीपक गुप्ता) 6/3/20
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांक :- 570 / 29 mg

दिनॉक :- 6/03/2020

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता द्वितीय, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि :- खण्डीय अमीन, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

6/3/20
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

जियो रेफरेन्स मैप– मांनीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी मे विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग किमी 0.00 (देवलमल्ला) से किमी 2 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/सूफी नदी पर कौजवे का निर्माण कार्य। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल–ग्राम–जुआ पट्टी सीला 4th परगना गंगासलाण कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल।

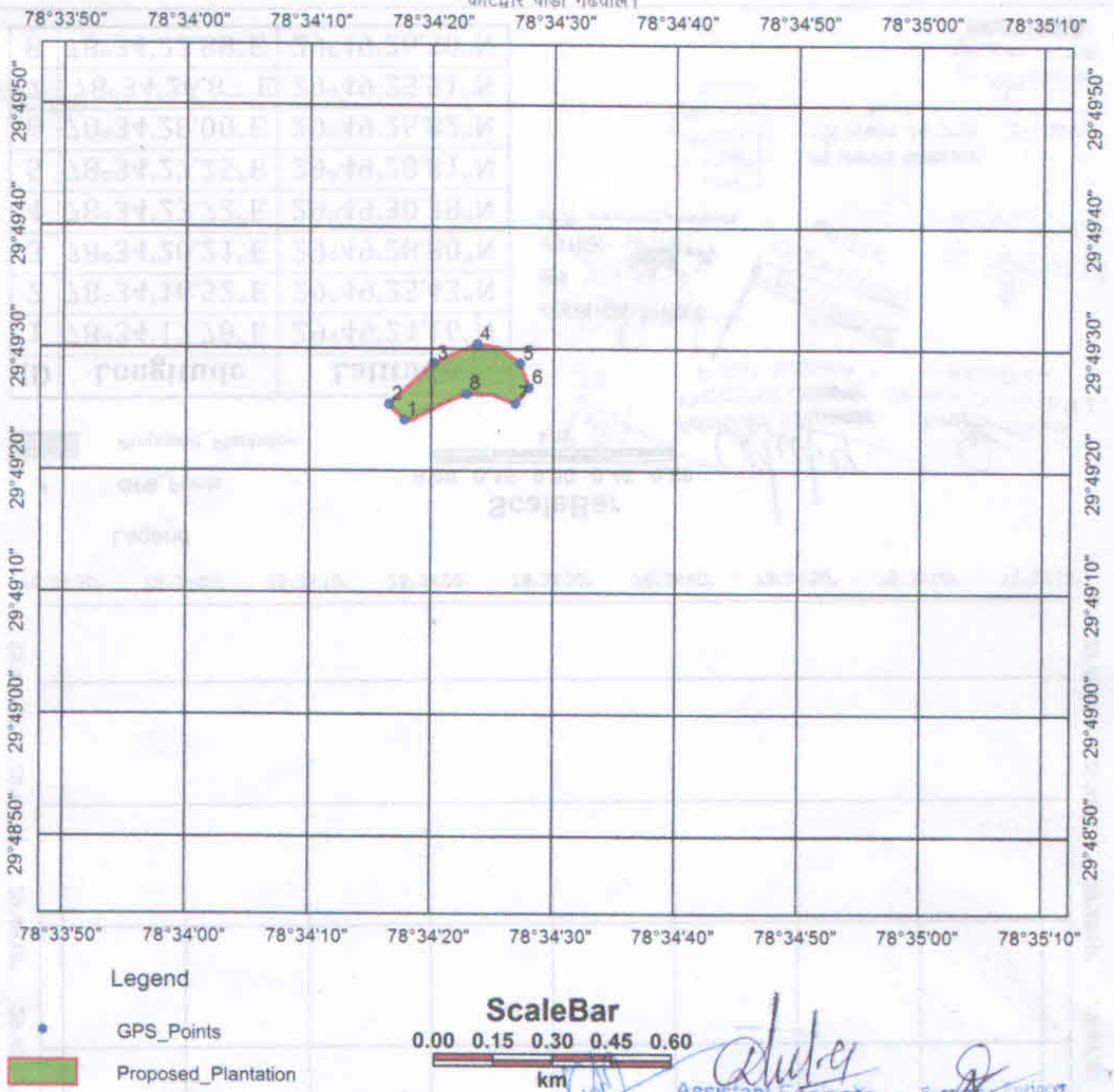

ID	Longitude	Latitude
1	78°34'17.78"E	29°49'24.16"N
2	78°34'16.52"E	29°49'25.43"N
3	78°34'20.21"E	29°49'28.80"N
4	78°34'23.72"E	29°49'30.38"N
5	78°34'27.25"E	29°49'28.81"N
6	78°34'28.00"E	29°49'26.82"N
7	78°34'26.87"E	29°49'25.51"N
8	78°34'22.88"E	29°49'26.30"N

J.E

Assistant Engineer
Provincial Division
P.W.D. Nainital

Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.
NAINITAL

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र
तहसील

तहसीलदार
कोटद्वार (गढ़वाल)
उत्तराखंड

उप जिलाधिकारी
कोटद्वार (गढ़वाल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग

डिजिटल मैप:– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 317 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग किमी0 0.000 (देवलमल्ला) से किमी0 2.000 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुये मार्ग का सुधारीकरण / सूखी नदी पर कॉजवे का निर्माण कार्य क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल ग्राम जुआ पटटी सीला 4 परगना गगासलाण कोटद्वारा पौडी गढ़वाल।

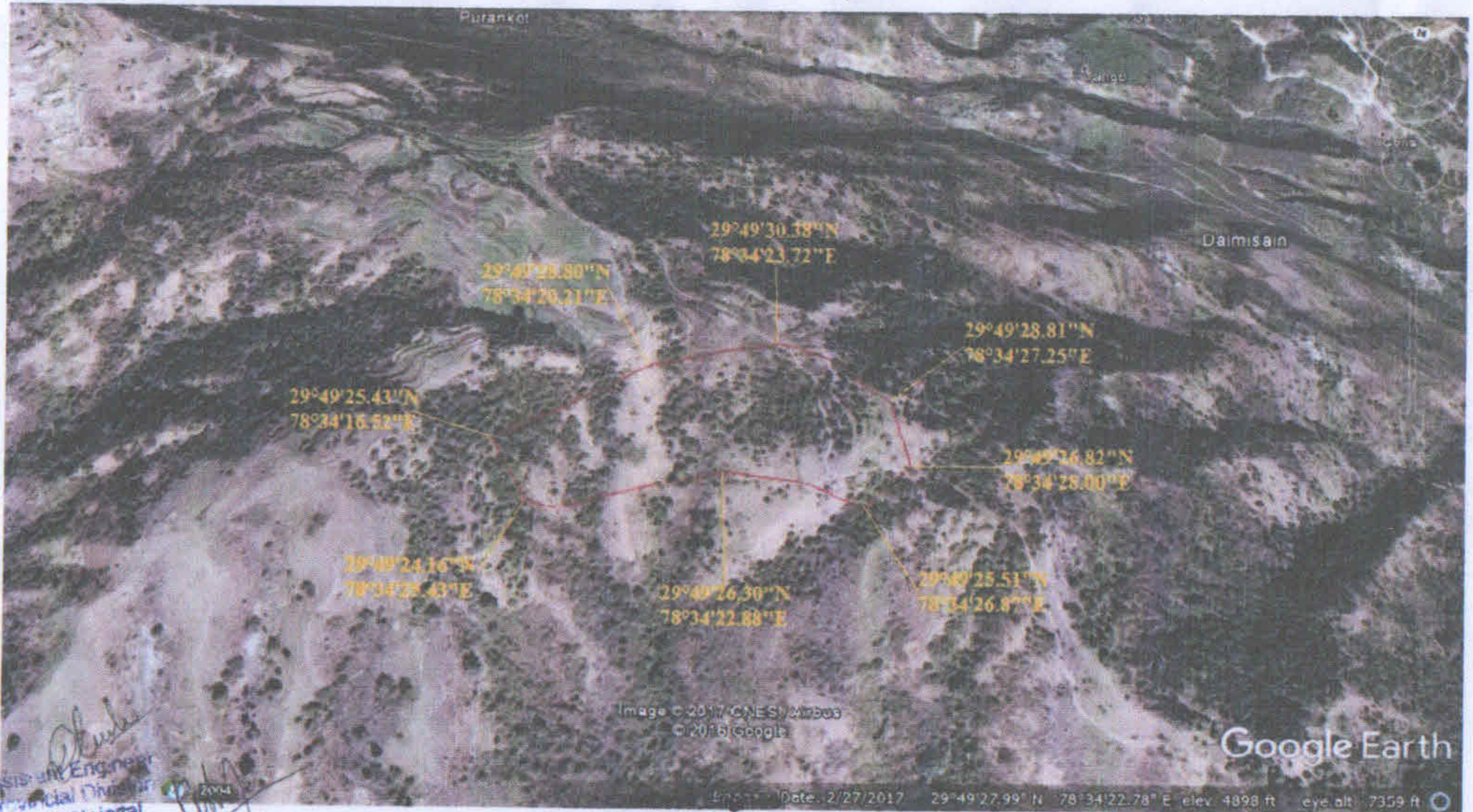

Legend	
Proposed Road	(red line)
Alternate Road	(blue line)

Assistant Engineer
Provincial Division
P.W.D. Nainital

Provincial Division
P.W.D. Nainital

डिजिटल मैप– मांनीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग किमी 0.00 (देवलमल्ला) से किमी 2 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/सूफी नदी पर कौजवे का निर्माण कार्य। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल–ग्राम–जुआ पट्टी सीला 4th परगना गंगासलाण कोटद्वार पौड़ी गढवाल।

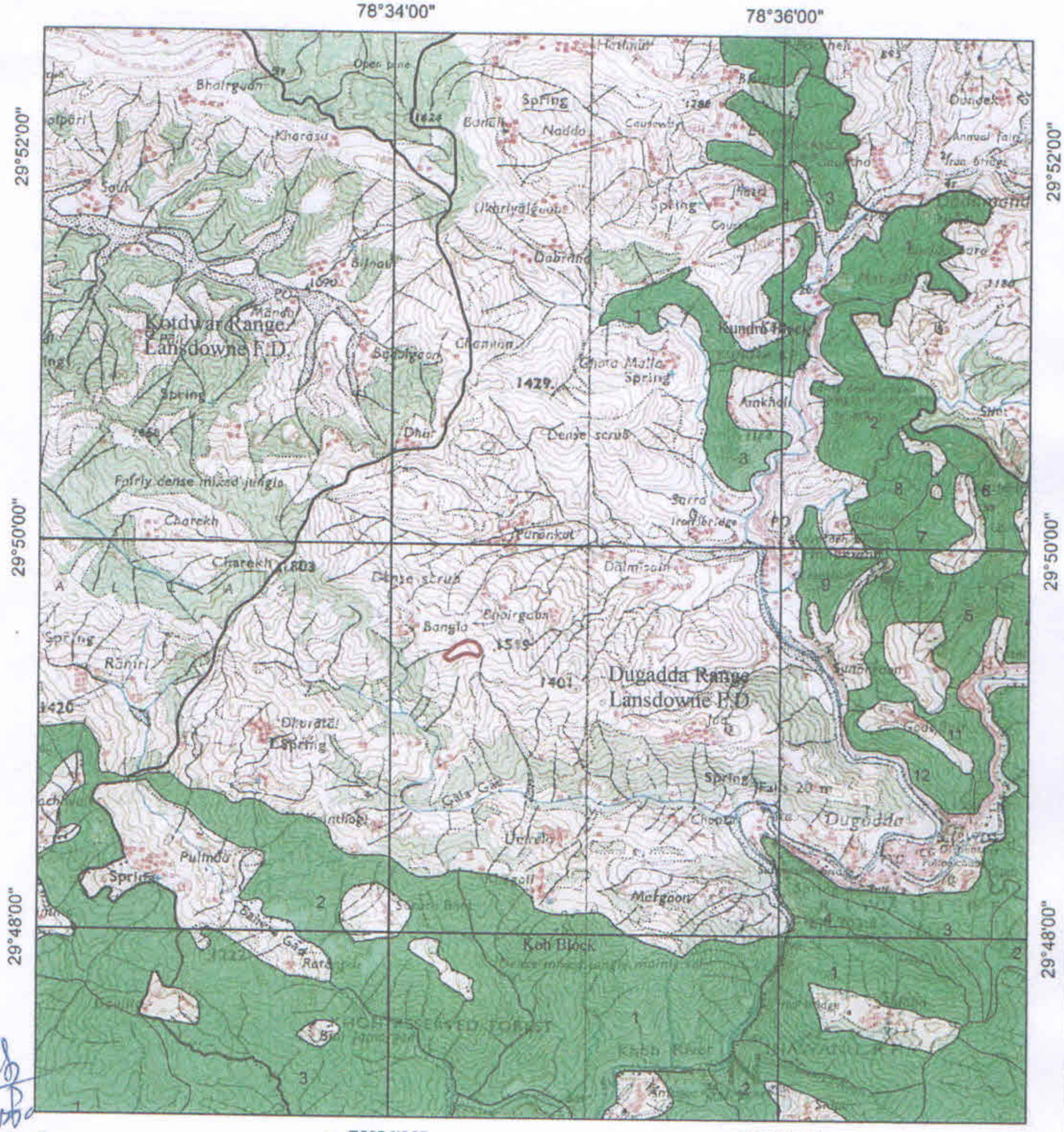

Legend

- Proposed_Plantation
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Range_Boundary
- Division_Boundary

ScaleBar

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

km

उप जिलाधिकारी
कोटद्वार (गढ़वाल)

Assistant Engineer
Provincial Division
P.W.D. Nainital

Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.
NAINITAL.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

(वि-5 खं०-2 को उद्ध)

प्रारूप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector--Nainital

No--- Dated-07/05/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.530** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **PD PWD Nainital** (name of user agency) for **C/O Vijaypur Pahadpani Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Nainital** district falls within jurisdiction of **Vijaypur** village (s) in **Haldwani** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.53** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **30 to annexure 30.1**

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

विजुवि०-2का3पट

प्रारूप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Nainital** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. **Deepak Rawat** I.A.S deputy commissioner,. **Distt. Nainital** on dated 07/05/2015 at time 3.00 P.M. at Nainital in which application claiming rights in **1.70 KM** area measuring **1.53** hect for the construction of **Vijaypur Pahadpani Motor** Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Haldwani** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Nainital

Dated:..07/05/2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

1विद्युत० 2का 3न((47)

प्रपत्र-23

परियोजना का नामः- माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में विधान सभा क्षेत्र लालकुआँ के विजयपुर पहाड़पानी बैल्व मार्ग के किमी० [illegible] (मुख्य मार्ग) से किमी० [illegible] तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण पुनः निर्माण व [illegible] (वास्तविक लं० 1.70 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-
तहसील- लालकुआँ जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विजयपुर पहाड़पानी [illegible] (वास्तविक लं० 1.70 कि०मी०) निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु(1.530 हे० आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि ——— हे०, वन पंचायत भूमि ——— हे०) अर्थात कुल 1.530 हे० वन भूमि का प्रा०खं० लो०नि०वि० नैनीताल विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत विजयपुर [illegible] दि० 16-12-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावेधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना कि निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम विजयपुर ([illegible]) के ग्राम वासियों को उक्त वनभूमि 1.530 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

16.12.2014

ह०/- ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
(मुहर) [illegible]

प्रधान,
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० [illegible]
ह० ग्राम प्रधान
सील

नोटः- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

विद्युत-2 का 3 रा (?)

(49)

प्रपत्र–23.2

[...]जना का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण सुखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तविक लं० 1.70 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड, स्तरीय समिति, ...

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु शून्य है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.575 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नैनीताल) बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पंकज कुमार उपाध्याय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री पंकज कुमार उपाध्याय उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष

2. श्री प्रकाश आर्य उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य

3. श्री एस0डी0 राम टम्टा सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/सचिव

4. श्रीमती बबिता बिष्ट बी0डी0सी0 क्षे. .... सदस्य

वि.5 ल० - 2 को 3 त्र

(50)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि :-

---

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317 / 2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर-पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 1.70 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु 1.530 हे0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 1.70 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे को निर्माण हेतु 1.530 हे0 वन भूमि में प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील Sub Divisional Magistrate
जनपद HALDWANI (Nainital)
Uttarakhand

राजस्व उप निरीक्षक
(मैदानी)
क्षेत्र
तहसील HLD

तहसीलदार
हल्द्वानी

उ. प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल

सदस्य क्षेत्र पंचायत
देवला मल्ला/तल्ला
वि० ख० हल्द्वानी (नैनीताल)

उप प्रभागीय वनाधिकारी (म०)
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी

बिन्दुखत्ता-2 [illegible]

प्रपत्र-23.1

दिनांक 16-12-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बिन्दुखत्ता (हैलनगर [illegible])

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर	क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
	भैरवदत्त	भैरवदत्त		रेवाधर	रेवाधर
	उमेश चन्द्र भट्ट	उमेश		आनन्द बल्लभ	आनन्द बल्लभ
	मदनराम	मदनराम		नारायण दत्त	नारायणदत्त
	लक्ष्मण दत्त	लक्ष्मणदत्त		तारादत्त	तारादत्त
	मुकेश चन्द्र	मुकेश चन्द्र		राजेन्द्र सिंह बिष्ट	राजेन्द्र सिंह बिष्ट
	हरिकृष्ण म०	हरिकृष्ण		मुकेश चन्द्र अधारिया	B. Adhariya
	मनोज सिंह	[illegible]		मुकेश चन्द्र अधारिया	[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible] राम	[illegible]
	चन्दन राम	चन्दनराम		पंकज	Pankaj
	[illegible]	[illegible]		मोहन चन्द्र	Mohan
	Lal [illegible]	[illegible]		Sonu	Sonu
	मोहन चन्द्र	मोहनचन्द्र			
	ईश्वरी दत्त	ईश्वरीदत्त			
	[illegible] सिंह	[illegible]			
	हरीश चन्द्र	Harish			
	जोगाराम	जोगाराम			
	नवीन चन्द्र	Naveen			
	प्रेम चन्द्र	[illegible]			
	कुन्दनलाल कोटलिया	[illegible]			
	धर्मेन्द्र [illegible]	[illegible]			
	[illegible] सिंह [illegible]	[illegible]			
	पंकज	[illegible]			
	चन्द्र [illegible]	चन्द्र [illegible]			
	त्रिलोक [illegible]	[illegible]			
	[illegible]	[illegible]			
	सूरज सिंह [illegible]	सूरज सिंह			
	प्रकाश [illegible]	[illegible]			
	मदन मोहन	[illegible]			

16-12-2014

ह0 ग्राम सचिव

प्रधान,

ग्राम पंचायत बिन्दुखत्ता [illegible]

बिन्दु सं० - 3 की उत्तर

(19)

प्रस्तावित लैण्ड भूमि.

नॉन जैड ए. (श्रेणी 9 (3) (कृषि योग्य बंजर भूमि)

ग्राम - जुवा
पट्टी - सीला 4th
परगना - गंगासलाण
तहसील - कोटद्वार
जनपद - पौड़ी गढ़वाल.
(उत्तराखण्ड)

कुल क्षेत्रफल - 280.453 हे०
मध्ये - 240.876 हे०

बिन्दु संख्या-3 का उत्तर

(10)

		खसरा	रकबा			
	~~आबादी~~	~~4974~~	~~0.004~~		~~कब्रगाह खेत~~	
		~~5122~~	~~0.209~~		~~आमजन~~	
		~~5149~~	~~0.194~~		"	
		~~5151~~	~~0.110~~		"	
		~~5153~~	~~1.941~~		"	
		~~5155~~	~~0.240~~		"	
	योग	~~25~~	~~25.166~~		"	
(ग)	स्थायी चरागाह और अन्य चरागाह वाली भूमि - - -				कोई नहीं,	
(घ)	छत छाने की घास कोठिया - - -			कोई नहीं		
(ङ)	अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि					
28/79	बंजर					
①	विजयपुर पहाड़पानी मेघा →	1	1.613	4.42 है / 3.06 है चाहिये	मला आ...	लोकसेवक द्वारा...
		7	2.579		"	
		15	0.023		"	
		20	0.028		"	
		24	0.005		"	
		30	0.025		"	
		33	0.020		"	
		35	0.025		"	
(2)	अनुपयोगी	38	5.018	5.661 / 5.140 चाहिये	"	
		41	0.048		"	
		53	0.016		"	
		56	0.028		"	
		58	0.008		"	

बिजुलि०-3 का अन्त

फार्म प्रपत्र सं0 प–11

(31) P(20) (12) (16)

1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
	बंजर		5235	0.015					रिक्त खाता						
	श्रेणी 9(ड.) योग -		509	280.453											

1398

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र सतोनी 4
तहसील कोटद्वार
पौड़ी गढ़वाल(उत्तराखण्ड)

वि.कु.लो. 4 का 3 गृ

प्रपत्र–36

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग किमी0 0.000 (देवलमल्ला) से किमी0 2.000 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुयें मार्ग का सुधारीकरण/सूखी नदी पर कॉजवे का निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता हैं कि उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल वन क्षेत्र मटियाली के अन्तर्गत पटवारी क्षेत्र सीला –4 के ग्राम जुवा की सिविल सोयम भूमि (नॉन0 जैड0 ए0) का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया है

अमीन

जू0 ई0

स0 अ0

Executive Engineer
Provincial Division, P.W.D.
NAINITAL

प्रतिहस्ताक्षरित

वन क्षेत्राधिकारी
रेंज मटियाली रेंज
भू0स0 वन प्रभाग
लैन्सडौन

प्रभागीय वनाधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
S.D.O
Forest
भूमि संरक्षण वन प्रभाग
लैन्सडौन

परियोजना का नाम – मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के कि0मी0 0.000 (देवल मल्ला) से कि0मी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/एवं सुखी नदी पर काजवे का निर्माण।

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र

आज दिनांक 24/09/2015 को वनक्षेत्र मटियाली के अर्न्तगत पटवारी क्षेत्र सीला–4 के ग्राम जुवा की सिविल सोयम भूमि(नौन0जैड0ए0) का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निरीक्षण किया गया जिसमें लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड नैनीताल के सहायक अभियन्ता श्री दिनेश चन्द्र, कनिष्ठ अभियन्ता श्री मनीष उप्रेती,कनिष्ठ अभियन्ता श्री कुशराज सैनी, अमीन श्री के0के0 सनवाल एवं वन क्षेत्र मटियाली भूमि संरक्षण वन विभाग लैन्सडौन के वनक्षेत्राधिकारी श्री आर0पी0पन्त, वन आरक्षी एच0पी0 द्विवेदी तथा राजस्व उपनिरीक्षक सीला–4 के श्री राजपाल रावत उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिविल सोयम भूमि जिसका खाता संख्या 28/79 है तथा खसरा संख्या 1 एवं 7 है।

एवं कुल रक्बा 3.06 है0 है क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

राजस्व उपनिरीक्षक सीला–4 तहसील कोटद्वार	अमीन प्रा0ख0लो0नि0वि0 (नैनीताल)	कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 (नैनीताल)
कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 (नैनीताल)	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 (नैनीताल)	तहसील कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल तहसीलदार कोटद्वार (गढ़वाल) उत्तरांचल
वन आरक्षी भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन (लैन्सडौन)	वनक्षेत्राधिकारी मटियाली भूमि संरक्षण वनप्रभाग लैन्सडौन	उपजिलाधिकारी कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल उप जिलाधिकारी कोटद्वार (गढ़वाल)
Executive Engineer Provincial Division, P.W.D. NAINITAL	उपप्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वनप्रभाग लैन्सडौन (गढ़वाल)	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वनप्रभाग लैन्सडौन (गढ़वाल)

वि0 कु0 सि0 6 को 3/ए

प्रपत्र – 2

परिशिष्ठ

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म
भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण।

1

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण : मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 31 /2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण / पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप : संलग्न है ।

ग) परियोजना की लागत : रु0 19.49 लाख (उनचास चरण)

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य : मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु ।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) : आवश्यकता नहीं है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है : मोटर मार्ग के निर्माण से लगभग 100 लोगो को रोजगार प्राप्त होगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है : नहीं।

क) परिवारों की संख्या : नहीं।

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या : नहीं।

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) : नहीं।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं) : हाँ

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) : संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा : संलग्न है।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

दिनांक 30/12/2014
स्थान नैनीताल

(इं0 जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
नैनीताल

प्रस्ताव की क्रम संख्या ....
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरी जाएगा)

विनु 5 - 6 का उत्त(

भाग–II
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या......................

7– **परियोजना/स्कीम का स्थान** – मा0 मुख्यमंत्री घोषणा 317/2013 के जनपद नैनीताल के अर्न्तगत विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवला मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटरमार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण।*(वास्तवितक ल0–1.70 किमी0)*

i. राज्य/संघ शासित क्षेत्र	–	उत्तराखण्ड
ii. जिला	–	नैनीताल
iii. वन प्रभाग	–	हल्द्वानी वन प्रभाग
iv. वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	–	1.53 है0 (आरक्षित भूमि)
v. वन की कानूनी स्थिति	–	आरक्षित
vi. हरियाली का घनत्व	–	0.00 – 0.10
vii. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	–	संलग्न है
viii. भू–क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	–	यह क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पर सूखी नदी/आरक्षित वन क्षेत्र में है। भू क्षरण की सम्भावना न्यूनतम है।
ix. वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	–	वन क्षेत्र से लगा हुआ है।
x. क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉ अनुबन्धित की जाए)	–	सम्पूर्ण वन प्रभाग "शिवालिक हाथी रिजर्व" का हिस्सा है। उक्त क्षेत्र छकाता राजि के कालूखेड़ा क0सं0–1 व रातीघाट क0सं0–5 में स्थित है।
xi. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	–	नहीं है
xii. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण--पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	–	नहीं है
8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	–	मार्ग निर्माण में इस वन प्रभाग में 1700 मी0 लम्बाई व चौड़ाई 9 मी0 भू–भाग कुल 1.53 है0 वन भूमि का प्रयोग मार्ग सुधारीकरण/काजवे निर्माण हेतु न्यूनतम मांग है।

वि०ु ०-6का3 ल

9–	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चाह रहे हैं।	–	नहीं
10–	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:–		
I.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या,प्रत्येक भू–खण्ड का आकार सिविल सोयम भूमि (बेतालघाट ब्लाक) काडा ग्राम।	–	संलग्न है।
II.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	–	संलग्न है।
III.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	–	संलग्न है।
IV.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	–	
V.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	–	संलग्न है।
1.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	–	संलग्न है।
12	**प्रभाग/जिला प्रोफाइल**		
i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र (जिला नैनीताल)	–	4251 वर्ग कि0मी0
ii.	जिला/प्रभाग का वन क्षेत्र।	–	हल्द्वानी वन प्रभाग का क्षेत्र 02 जनपदों पर पड़ता है। 1– जनपद नैनीताल– 47808.62 है0 2– जनपद चम्पावत– 15651.38 है0 कुल योग– 63460.00 है0
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	–	30 मामलें व 367.184 है0
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	–	

(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि — —

(ख) वनेत्तर भूमि — 90.972 है0 व 2 रो0 कि0मी0 इस वन प्रभाग में प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।

प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति

(क) वन भूमि पर — 90.972 है0 व 2 कि0मी0

(ख) वनेत्तर भूमि पर — —

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रसताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — संस्तुति सहित अग्रसारित

14. **प्रभागीय वनाधिकरी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी की टिप्पणी—** उक्त क्षेत्र नन्धौर वन्य जीव अभ्यारण्य के प्रस्तावित ईको सेन्सिटिव जोन की परिधि से बाहर रखा गया है। यह क्षेत्र वास्तव में वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र है। अतः वन्य जीव संरक्षण एवं जैव विविधता हेतु परियोजना बनाकर संलग्न की जा रही है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। वन एवं वन्य संरक्षण हेतु हल्द्वानी वन प्रभाग, द्वारा की गयी योजना का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।

दिनॉकः— 08.08.2016

स्थान :— हल्द्वानी।

हस्ताक्षर

नाम — (डॉ0 सी0 एस0 सनवाल)

सरकारी मोहर— प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

बिन्दु 6b-6 का उत्तर

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के अन्तर्गत जनपद- नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में बिजयपुर-पहाड़पानी पैदल मार्ग के कि०मी० 0.00 (ढवलमहला) से कि०मी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुन: निर्माण खुली नदी पर कॉजवे का निर्माण (प्रथम चरण) (वास्तविक लम्बाई 1.70 कि०मी० (कुल क्षेत्रफल - 1.530 है० FP/UK/ROAD/20099/2016

प्रपत्र– 2.2

भाग– III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉं/नही) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं.
15.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ।
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशष सिफारिशें।	प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी के रिपोर्ट अनुसार संस्तुति की जाती है।

तिथि 12/08/2016

स्थान हल्द्वानी

हस्ताक्षर
नाम और पदनाम
वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, हल्द्वानी.

वि०नं० सि०कां 3७८

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः जनपद– जनपद–नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवला मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग मोटरमार्ग में परिवर्तित करके उस का सुराधीकरण/पुनःनिर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण हेतु–1.53 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु नैनीताल वन प्रभाग में 1.53है0 आरक्षित वन भूमि, का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी तथा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **जनपद–नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवला मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग मोटरमार्ग में परिवर्तित करके उस का सुराधीकरण/पुनःनिर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण** के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से.)
प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहरः
तिथि : 06 /09/2016
स्थान : देहरादून